an>

Title: Need to check the reality shows in television channels where children participate and also regulate other programmes so that public and children can watch.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) ः किसी भी देश के बच्चे उसके कल का भविष्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दिसम्बर, 1992 में इसे महसूस किया और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रस्ताव स्वीकृत किया, जिसमें उन्होंने बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य और भावना संबंधी बौद्धिक तथा सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया, परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारे देश में बच्चों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न तथा बल श्रम जैसे विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार लगातार हो रहे हैं। बच्चों के साथ घर से लेकर बाहर तक होने वाले इन तमाम दुर्व्यवहारों की बारीकी से जांच करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना देश के भविष्य के लिए अति आवश्यक है। विभिन्न तरह की प्रताड़नाएं बच्चों को मानसिक आघात पहुंचा रही हैं, जिससे वे मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं।

बहुत से मामलों में अक्सर यह देखा जाता है कि छोटी बच्चियां या छोटे बच्चे अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बोलने का साहस नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही, बच्चे अत्यधिक टेलीविजन देखने और इंटरनेट सर्फिंग के दुरूपयोग के कारण उचित मार्ग से अनुचित मार्ग की ओर विचलित हो रहे हैं। टेलीविजन पर अत्यधिक हिंसा, अश्लीलता और तीव्र गति से बच्चों का मस्तिष्क बहुत हिंसक और असंतुलित हो जाता है। बच्चे अपने विद्यालय अवधि के दौरान जब उनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है, वे अधिकांशतः इस नाजुक उम्र में गलत चीज़ों को चुनते हैं।

ऐसे में मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार उन रियल्टी शोज पर जहां बच्चे भी शामिल होते हैं तथा भड़काऊ टेलीविजन कार्यक्रमों को सेंसर बोर्ड द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करे।